समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–13 / 2019–20
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
सत्यदेव करमाली एवं अन्य
–::आदेश::–

15.07.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–16, दिनांक–09.08.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि आई0ई0एल0 थाना कांड सं0–10 / 2019, दिनांक–31.03.2019, धारा–379 / 414 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत जप्त बिना नम्बर का बजाज डिस्कवर मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–DXEBNF62346 चेचिस नं0–MD2DSDXZZNAF62033 पर 22 बोरा फोड़ा कोयला **2.** बिना नम्बर का हीरो होण्डा मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–IS297CMGBG चेचिस नं0 MBLHA11EK99J03759 पर 16 बोरा फोड़ा कोयला **3.** बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल नं0–JH10L-7938 इंजन नं0–DUMBND14530 चेचिस नं0–MD2DDDZZZNWO41474 पर 14 बोरा फोड़ा कोयला **4.** बिना नम्बर का बजाज डिस्कवर मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–DSGBNE61527 चेचिस नं0–MD2DSDSZZNCE82515 पर 24 बोरा फोड़ा कोयला **5.** बिना नम्बर का बजाज डिस्कवर मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–DHGBPJ23435 चेचिस नं0 MD2DHDHZZPCJ83586 पर 15 बोरा फोड़ा कोयला **6.** बिना नम्बर का बजाज डिस्कवर मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–DSGBNHN3506 चेचिस नं0–MD2DSDSZZNCH13011 पर 22 बोरा फोड़ा कोयला को अवैध रूप से परिवहन के आरोप में चालक एवं मालिक के विरूद्ध दर्ज करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राज्यसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी एवं उनके संबंधित अधिवक्ता वाद के सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गये।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–30.03.2019 को रात्रि में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में कोयला चोरों के विरूद्ध छापेमारी के क्रम में नावाडरी से करमटिया जाने वाली रोड में करमटिया की ओर से कुछ लोग मोटरसाईकिल पर कोयला लोड कर आ रहे है। पुलिस जीप को देखते ही वे लोग मोटरसाईकिल को छोड़कर इधर–उधर भागने लगे। पुलिस दल के द्वारा उनका पीछा किया गया किन्तु वे लोग अन्धेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जिससे स्पष्ट है कि भागने वाले सभी लोग बिना कागजात के अवैध रूप से कोयला का परिवहन कर रहे थे। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उनके द्वारा अवैध तरीके से कोयला को कालाबजारी करने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नही दी जा सकती है।

विपक्षी सं0–3 की ओर से स्वहस्तलिखित जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि ब्जाज प्लेंटिना मोटरसाईकिल नं0–JH10L-7938 को जितेश निषाद पिता स्व0 विरेश्वर निषाद पता स्वाग कोलियरी, सेन्ट्रल स्कूल, थाना–गोमियां, जिला बोकारो वर्ष 2013 में ही बिक्री कर चुके है। जवाब के साथ बिक्री एकरारनामा की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है। जिसके आधार पर उनके द्वारा इस अधिहरण वाद से उनका नाम मुक्त करने का अनुरोध करते हुए लिखा गया है कि उक्त मोटरसाईकिल का वह भविष्य मे कभी दावा नहीं करेगें।

वर्णित परिस्थिति में विद्वान सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना वैध कागजात के ही प्रश्नगत कोयला को परिवहन किया जा रहा था। विपक्षी को दिनांक–04.02.2022 को अपना पक्ष रखने का अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गए। शेष विपक्षियों के द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–16, दिनांक–09.08.2019 को स्वीकृत करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के उल्लंघन के आरोप में आई0ई0एल0 थाना कांड सं0–10 / 2019, दिनांक–31.03.2019, धारा–379 / 414 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत जप्त बिना नम्बर का बजाज डिस्कवर मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–DXEBNF62346 चेचिस नं0–MD2DSDXZZNAF62033 पर 22 बोरा फोड़ा कोयला **2.** बिना नम्बर का हीरो होण्डा मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–IS297CMGBG चेचिस नं0–MBLHA11EK99J03759 पर 16 बोरा फोड़ा कोयला **3.** ब्जाज प्लेटिना मोटरसाईकिल नं0–JH10L-7938 इंजन नं0–DUMBND14530 चेचिस नं0–MD2DDDZZZNWO41474 पर 14 बोरा फोड़ा कोयला **4.** बिना नम्बर का बजाज डिस्कवर मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–DSGBNE61527 चेचिस नं0–MD2DSDSZZNCE82515 पर 24 बोरा फोडा कोयला **5.** बिना नम्बर का बजाज डिस्कवर मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–DHGBPJ23435 चेचिस नं0–MD2DHDHZZPCJ83586 पर 15 बोरा फोडा कोयला **6.** बिना नम्बर का बजाज डिस्कवर मोटरसाईकिल जिसका इंजन सं0–DSGBNHN3506 चेचिस नं0–MD2DSDSZZNCH13011 पर 22 बोरा फोडा कोयला को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

15.7.2022 — 15.7.2022

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो। — उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.19 16:35:48 +05:30
Location: 192.168.1.103